

प्र.सं. 77 / 2024 (GCMS नं.: 2024 / 155)
 आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड बनाम सत्य नारायण आदि
 अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI Act.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
-------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------

22.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी ने वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी कम्पनी से अप्रार्थीगण ऋणि सत्य नारायण आदि ने आवासीय ऋण के तहत 7,00,000/- (अखरे सात लाख रुपये) का ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सत्य नारायण ने अपनी सम्पत्ति पट्टा नं. 68 बुक नं. 103 गांव करडवाली ग्राम पंचायत करडवाली तहसील रायसिंहनगर को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखा था। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण करार के अनुसार नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को ऋण का भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 04.04.2024 को ऋण भुगतान में व्यतिक्रम (डिफाल्ट) होने पर अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के खाता में दिनांक 04.04.2024 तक राशि 7,12,182/- रुपये एवं अतिदेय ब्याज शेष व देय निकलते हैं, जिसके भुगतान हेतु अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त बकाया राशि का भुगतान करने का धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 08.04.2024 रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 09.04.2024 को प्रेषित किया गया। जो अप्रार्थीगण को दिनांक 12.04.2024 को प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 10.04.2024 को नोटिस का समचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा कम्पनी की उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ऋणि से उपरोक्त नोटिस के संबंध में कोई जवाब/आपत्ति/प्रस्तुतिकरण प्राप्त नहीं हुआ है। धारा 14 के प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सत्यनारायण द्वारा प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी सम्पत्ति पट्टा नं. 68 बुक नं. 103 गांव करडवाली ग्राम पंचायत करडवाली तहसील रायसिंहनगर का भौतिक कब्जा शान्तिपूर्वक प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

मैंने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा धारा 14 के आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करनी होती है। वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस की तामील संबंधित ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

पत्रावली में उपलब्ध प्राथी के प्रार्थना पत्र धारा (14), शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को ऋण राशि उपलब्ध करवाई थी। ऋण की सुरक्षा की



जिला कलेक्टर
 अनुपपूर

प्र.सं. 77 / 2024 (GCMS नं.: 2024 / 155)
आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड बनाम सत्य नारायण आदि
अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI Act.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किये गये
------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------

एवज में अप्रार्थी ऋणी सत्य नारायण द्वारा अपनी पट्टा नं. 68 बुक नं. 103 गांव करडवाली ग्राम पंचायत करडवाली तहसील रायसिंहनगर को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखा था। उक्त सम्पत्ति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार जिला अनूपगढ़ में स्थित हैं।

प्रार्थी कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.04.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। कम्पनी द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 08.04.2024 को जारी किये गये है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार -

" Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.



जिला कलकट्टर
अनूपगढ़

प्र.सं. 77 / 2024 (GCMS नं.: 2024 / 155)
आवास फाईनेसर्स लिमिटेड बनाम सत्य नारायण आदि
अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI Act.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
-------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------

(4) Where there are more than one borrower the demand notice shall be served on each borrower.

उक्त नियम के अनुसार यदि रजि. नोटिस की तामील नहीं होती है तो ऋणि के आवास/कार्यस्थल स्थान पर नोटिस चस्पा करने तथा दो प्रचलित समचार पत्रों में नोटिस प्रकाशन द्वारा तामील करवाए जाने के प्रावधान हैं। प्रत्येक ऋणि पर नोटिस की तामील होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 4 को नोटिस रजि. डाक द्वारा प्रेषित करने तथा नोटिस के तामील होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 की पालना की जानी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 3 पर नोटिस तामील माना जाना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेसर्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 अस्वीकार किया जाता है

आदेश आज दिनांक 22.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़